फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

शम्भूदयाल बनाम भूमिधारी

मिसल मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर 33 सन 2021

	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
021	रिपोर्ट सरिश्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 29.01.2021 को पेश हो।	
29/1/2021	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते साक्ष्य व बहस पत्रावली दिनांक 9/3/2021 को पेश हो।	
9/3/2021	वकील प्रार्थी उप०। साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी शम्भुदयाल सैनी व राजेन्द्र कुमार सैनी, सुभाष सैनी, हेमराज सैनी का शपथ पत्र पेश हुआ। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 15/3/2021 को पेश हो।	
15/3/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण उप0। बावजूद सम्यक तामिल अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम शम्भूदयाल सैनी व प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम राजेन्द्र कुमार सैनी है। प्रार्थीगण के नाम राजस्व ग्राम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kum
Date: 2021.03.29 17:57:31 IST
Reason: SelfAttested

गांवडी पटवार हल्का गांवडी में खातेदारी भूमियां हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से प्रार्थीगण का गलत नाम कमशः शिम्भुदयाल व राजेन्द्र प्रसाद दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत गांवडी का नामान्तरकरण संख्या 2339 की प्रति प्रस्तुत की हैं जिनमें प्रार्थीगण का नाम कमशः शम्भूदयाल सैनी व राजेन्द्र कुमार सैनी अंकित है। प्रार्थीगण के स्वंय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों एवं सह खातेदारान सुभाष सैनी पुत्र श्री कालूराम सैनी व हेमराज सैनी पुत्र कालूराम सैनी के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से भी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदार सुभाष सैनी पुत्र श्री कालूराम सैनी व हेमराज सैनी पुत्र कालूराम सैनी के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम कमशः शिम्भूदयाल व राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण सुन्दरलाल अंकित है। प्रार्थीगण का कथन कि प्रार्थीगण का सही नाम कमशः शम्भूदयाल सैनी व राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्रगण सुन्दरलाल है की पुष्टि आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत गांवडी का नामान्तरकरण संख्या 2339की प्रति से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदारान के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम गांवडी पटवार हल्का गावंडी तह. नीमकाथाना के ख. नं. 576 व 576/1248 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम शिम्भूदयाल पुत्र सुन्दरलाल के स्थान पर शम्भूदयाल सैनी पुत्रगण सुन्दरलाल व राजस्व ग्राम गांवडी पटवार हल्का गावंडी तह. नीमकाथाना के ख. नं. 578 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम कमशः **शिम्भूदयाल व राजेन्द्र प्रसाद**

Signature Not
Digitally signed b
Date: 2021.03.29
Reason: SelfAtte

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
पुत्रगण सुन्दरलाल के स्थान पर कमशः शम्भूदयाल व राजेन्द्र कुमार पुत्रगण सुन्दरलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:57:31 IST
Reason: SelfAttested